15-12-20 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष वकील अनु. पत्रावली पाश्चे आदेश हेतु दिनांक 14-01-21 पेश हो।

14-1-21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष वकील के बहस कई बार आवाजे लगाई गई। बावजूद आवाज के वकील कोई हाजिर नहीं है।

अतः सार. कोई नहीं वकील के उपस्थित होने तक आदेश पेश में आदेश दिया जाता है। पत्रावली कैलेण्डर में शुमार होकर बहस के लिए हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरवाड़ा